

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश  
गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/बजट (डी)/581/2016-17/399  
प्रति,

भोपाल, दिनांक : 31.12.2016

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी।

मैहर, (सतना), रामपुर (सीधी), केवलारी (सिवनी), मऊगंज, गंगेव (रीवा), सागर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़),  
विदिशा, इन्दौर म.प्र.।

विषय : चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 0581 -11-009 में आबंटन स्वीकृति के संबंध में ।

—00—


उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 योजना चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 0581-11-009 अंतर्गत म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-1958 के प्रावधान एवं समस्त वित्तीय नियमों का पालन करते हुए निम्नानुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

बजट शीर्ष/मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम, पदस्थापना, रोगी से संबंध	डीडीओ कोड क्रमांक एवं डीडीओ का नाम	स्वीकृत राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
40. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	1. श्री कधीलाल बुनकर शिक्षक शा.उत्कृष्ट.उमावि.मैहर,सतना।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मैहर,सतना। 3422003090	153023
2202 सामान्य शिक्षा	2. श्री.रामनरेश पाण्डे, व्याख्याता शा.उमावि.खड़डी जिला सीधी।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी रामपुर जिला सीधी। 4122003040	102235
02 माध्यमिक शिक्षा	3. श्री सत्यनारायण शर्मा, लेखापाल शास.उमावि.भरतपुर, जिला सीधी।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी रामपुर जिला सीधी। 4122003040	10164
109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय	4. श्री भगवानदास बरकड़े, प्राचार्य शास.उमावि.रुमाल सिवनी।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी केवलारी जिला सिवनी। 3612003038	47748
0581 उच्चतर माध्यमिक शालाएं	5. श्री पुरनलाल झारिया, प्राचार्य शास. हाईस्कूल बगलई जिला सिवनी।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी केवलारी जिला सिवनी। 3612003038	158750
11 वेतन, भत्ते	6. श्री रंजीत हरिजन, स्वीपर शास.उमावि. (उत्कृष्ट), उमरिया।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी करकेली, जिला उमरिया। 4402003010	78330
9999 आयोजनेत्तर	7. श्री गेंदलाल सिंह सहा.शि.शा. पुष्पराज उमावि. खुटहा जिला सीवा।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मऊगंज जिला सीवा। 3222003046	250000
V मतदेय	8. श्री रघुवर प्रसाद कुर्मी, भृत्य शास.उमावि. करपुर, जिला सागर।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सागर। 3302003004	59438
009 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	9. श्री देवेन्द्र सिंह, प्राचार्य, शा.उ. उमावि. गंगेव जिला सीवा।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी गंगेव जिला सीवा। 3202003038	289907
	10. श्री गोवर्धनसिंह उमठ, शिक्षक उमावि. तलेन, जिला राजगढ़।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़। 3032003013	47128
	11. कुमारी रजनी श्रीवास्तव प्राचार्य, शास.संस्कृत उमावि. विदिशा।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विदिशा। 4502003002	18176
	12. श्रीमती प्रतिभा लाड, प्राचार्य, शास.मालव कन्या हाईस्कूल इन्दौर।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्दौर। 1712003043	39275

	13. श्री रमेशचन्द्र जेने, प्राचार्य शास.अहिल्या आश्रम उमावि.क्र 02 इन्दौर।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्दौर। 1712003043	35963
	14. श्री मनोज कुमार शुक्ला, प्राचार्य शास.हाईस्कूल कराडिया देपालपुर, इन्दौर।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी देपालपुर, इन्दौर। 1722003024	153991
	15. श्रीमती चन्द्रकला मण्डलेकर व्याख्याता, शास.टि.बा.उमावि. वारासिवनी, बालाघाट।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी वारासिवनी, बालाघाट। 0142003045	150000
कुल योग (रु. पंद्रह लाख चौरानवें हजार एक सौ अठाईस मात्र)			1594128

उक्त प्रकरणों की मूल अभिलेखों की जांच करने के पश्चात् ही नियमानुसार विकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों का भुगतान किया जावे। स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2017 तक निश्चित रूप से हो जानी चाहिए। संबंधित व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31.03.2017 के पूर्व किया जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके। बजट उपलब्ध कराये जाने का तात्पर्य यह नहीं है कि संचालनालय संबंधित को भुगतान हेतु सहमत है। म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-1958 एवं तत्सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा जारी नियम/निर्देशों के पालन का दायित्व संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी का होगी। तथा यह सुनिश्चित करें कि आवंटित राशि का भुगतान संबंधित को किया जावे।


"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

  
(संजय कुमार)  
संयुक्त संचालक(वित्त)  
लोक शिक्षण म.प्र.।

पृष्ठा क्रमांक/बजट (डी)/581/2016-17/400  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक : 31.12.2016

1. प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.।
2. जिला कोषालय अधिकारी- सतना, सीधी, रीवा, सिवनी, सागर, विदिशा, राजगढ़, इंदौर, म.प्र.।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, सतना, सीधी, रीवा, सिवनी, सागर, विदिशा, राजगढ़, इंदौर, म.प्र.।
4. सहायक संचालक (बजट) की ओर बजट फीड किए जाने हेतु।
5. संबंधित कर्मचारीगण स.क्र.1 से 15 (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
संयुक्त संचालक(वित्त)  
लोक शिक्षण म.प्र.।